

न्यायालय जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 28/2017 निगरानी

उनवान

छोटूलाल पिता रामनाथ माली
निवासी बागोर तहसील-मांडल
जिला-भीलवाड़ा

बनाम

1. मुकेश कुमार पिता बंदीलाल माली
निवासी बागोर तहसील-मांडल
जिला-भीलवाड़ा
 2. ग्राम पंचायत बागोर जरिये सरपंच
 3. राजस्थान राज्य जरिये विकास
अधिकारी पंचायत समिति मांडल
- गैर निगराकारान्

-निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम निगरानी विरुद्ध ग्राम पंचायत
बागोर पं.स. मांडल जिला-भीलवाड़ा द्वारा जारी पट्टा पत्रावली क्रम सं. 11 दिनांक

5-8-2013

- उपस्थित :-
1. श्री राकेश जैन - निगराकार की ओर से ।
 2. श्री भैरूलाल बापना - गैर निगराकार सं. 1 की ओर से
 3. गैर निगराकार सं. 2 व 3 स्वयं उपस्थित ।



निर्णय

दिनांक :- 31.10.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगराकार सं. 2 व 3 द्वारा गैर निगराकार सं. 1 से मिलीभगत कर पत्रावली सं. 11 दिनांक 5-8-2013 से गैर निगराकार सं. 1 को ग्राम बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में नपती 30 बाई 25 फीट जिसके पड़ोस पूर्व में बंशीलाल माली का भूखण्ड, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में प्यारा जी कुम्हार का भूखण्ड, दक्षिण में आम रास्ता माताजी का है। जिसका पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया जो कि निगराकार की खातेदारी की जमीन में है। साबिक आराजी नं. 1583 जो कि निगराकार के पिता रामनाथ पुत्र श्री जगन्नाथ माली के खातेदारी हक अधिकार की थी, जो कि राजस्व नक्शे में तालाब की पाल से सटमा हुई थी। जिसके नवीन नंबर 3009 पड़े जो कि राजस्व अधिकारियों ने नक्शा तरमीम में गलती कर तालाब की पाल से दूर तरमीम कर दी गयी, जिस पर तहसीलदार मांडल, ग्राम पंचायत बागोर व जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल के यहां वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिस पर उक्त आराजी को पूर्ववत सही जगह तरमीम किये जाने का आदेश बप्रकरण सं. 159/2004 राजस्व वाद भैरूलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 21-8-2008 को निर्णय पारित

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

किया गया जिसके निर्णय/डिक्री की पालना की कार्यवाही चल रही है। राजस्व रिकार्ड में गलत तरमीम की आड़ में निगराकार की खातेदारी भूमि जिसको दुरुस्त करने का निर्णय/डिक्री पारित की गयी। उस भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से पट्टा जारी करने का आदेश दिया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। पंचायत राज अधिनियम 260 के अनुसार आबादी से प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आपत्तियां मांगने का सूचना पत्र सार्वजनिक जगह पर लगाना जरूरी होता है, लेकिन गैर निगराकार को आर्थिक फायदा पहुंचाने की गरज से तत्कालीन सरपंच ने कोई भी आपत्तियां मांगने का सूचनापत्र जारी नहीं किया व पूरी पत्रावली पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह प्रकट होता है कि तत्कालीन सरपंच ने गैर निगराकार सं. 1 से मिलाभगती कर उक्त पट्टा जारी कर दिया है, जो खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत गैर निगराकार सं. 2 ने नियम 147-148 की पालना भी विधिवत नहीं की। न ही कोई ग्राम पंचायत बागोर में विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना बस स्टेण्ड या सहजदृश्य स्थान पर लगवायी गयी व न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये। मात्र गैर निगराकार सं. 1 ने गैर निगराकार सं. 2 से मिलाभगती कर गैर निगराकार सं. 2 ने विधि विरुद्ध निर्णय पारित कर दिया जो काबिल अपास्तगी के है।

प्रस्तुत निगरानी को इस न्यायालय में पंजीबद्ध करते हुए गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत से पत्रावली तलब की गयी।

गैर निगराकार सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि गैर निगराकार सं. 1 ने गैर निगराकार सं. 2 व 3 से किसी भी तरह की मिलीभगती नहीं की है। गैर निगराकार मुकेश माली ओ.बी.सी. समुदाय का होकर अवासहीन व्यक्ति है। इसी कारण से ग्राम पंचायत बागोर ने पत्रावली सं. 175/12-13 द्वारा संकल्प सं. 11 दिनांक 5-8-2013 की अनुपालना में ग्राम बागोर की आबादी भूमि में दिनांक 11-9-2017 को 20 बाई 25 फीट का एक आवासीय भूखण्ड रियायती दर पर विधिवत कार्यवाही कर जरिये पट्टा सं. 27 प्रदान किया है। जिसके विक्रयमूल्य की राशि 1,000/- रुपये पंचायत बागोर में जमा करा दिये हैं। यह भूखण्ड ग्राम पंचायत बागोर की आबादी क्षेत्र में स्थित है। यह आवासीय भूखण्ड निगराकार की कृषि भूमि में नहीं है बल्कि आबादी की आराजी नं. 2991 में स्थित है। निगराकार मुकदमेंबाज व्यक्ति है जो आये दिन लोगों के खिलाफ झूठी कार्यवाहियां कर उन्हें परेशान करता रहता है। गैर निगराकार सं. 2 व 3 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को जारी किया गया पट्टा पूर्णरूप से वैध व प्रभावी है। गैर निगराकार सं. 01 का उक्त आवासीय भूखण्ड निगराकार की आराजी में स्थित नहीं है बल्कि गैर निगराकार के उक्त आवासीय भूखण्ड का उपतहसीलदार बागोर के आदेश क्रमांक/राजस्व/17/229 दिनांक 30-10-2017 एवं थानेदार बागोर की तहरीर क्रमांक 3659 दिनांक 30-10-2017 की पालना में पुलिस स्टाफ की उपस्थिति में पटवारी हल्का बागोर द्वारा दिनांक 2-11-2017 को मौतवीरान की उपस्थिति में मौका देखकर सीमाज्ञान कराया गया। जिसके अनुसार विपक्षी गैर निगराकार मुकेश माली का भूखण्ड ग्राम की आबादी भूमि

2991 में स्थित है जो कि छोटूलाल पिता रामनाथ माली की खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। गैर निगराकार सं. 01 के पास स्वयं का मकान नहीं होने से गैर निगराकार सं. 01 के बाल बच्चों के निवास में भारी कठिनाई आ रही है। जिससे इस भूखण्ड पर निर्माण कार्य कराना अत्यावश्यक हो रहा था। जिससे ग्राम पंचायत से इस भूखण्ड पर निर्माण कार्य कराने के लिये स्वीकृति हेतु निवेदन किया तो निर्माण कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिस पर गैर निगराकार सं. 01 ने मकान का निर्माण कर लिया है और गैर निगराकार सं. 01 का परिवार इसमें निवास करने लग गया है। निगराकार द्वारा निगरानी में यह लिखना सरासर गलत है कि एक ही दिन में बंद कमरे बैठकर पत्रावली बनाकर फैसल कर दी। बल्कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियम 1996 में वर्णित भूमि विक्रय के सभी प्रावधानों की पालना करते हुए ही भूखण्ड रियायती दर पर विक्रय किया है। जब पत्रावली सन् 2012-13 में कायम की गयी थी और पट्टा सन् 2017 में जारी किया गया था तो कैसे कहा जा सकता है कि पट्टा एक ही दिन में जारी कर दिया गया। गैर निगराकार सं. 01 ने गैर निगराकार सं. 2 व 3 से कोई दुरभिसंधि नहीं की है। आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस नियमानुसार जारी किया गया है। उक्त आवासीय भूखण्ड पर गैर निगराकार सं. 01 का ही कब्जा चला आ रहा है और इस पर गैर निगराकार सं. 01 ने मकान का निर्माण भी करा लिया है जिसमें गैर निगराकार सं. 01 परिवार सहित निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत बागोर ने नियम 147-148 की विधिवत पालना की है। प्रस्तावित भूमि में भूखण्ड आवंटन के संबंध में आपत्तियां मांगने का सूचनापत्र विधिवत जारी किया है जिस पर दो से अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो रहे हैं। गैर निगराकार सं. 1 ने गैर निगराकार सं. 2 से कोई भी मिलाभगती नहीं की है और न कोई विधि विरुद्ध निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया है।

गैर निगराकार सं. 2 ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में आबादी भूमि विक्रय से संबंधित सभी प्रावधानों की पूर्णतया पालना करते हुए ही विधिवत रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पत्रावली सं. 175/12-13 द्वारा संकल्प सं. 11 दिनांक 5-8-2013 की अनुपालना में ग्राम बागोर की आबादी भूमि में दिनांक 11-9-2017 को 20 बाई 25 फीट का एक आवासीय भूखण्ड रियायती दर पर विधिवत कार्यवाही कर जरिये पट्टा सं. 27 प्रदान किया है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है।

पंचायत से अपीलाधीन रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से 11 के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार करायी जाकर गैर निगराकार सं. 1 को जो पट्टा जारी किया गया है उसे निरस्त कराया जावे।

गैर निगराकार सं. 1 ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार सं. 1 को पंचायत द्वारा दिया गया भूखण्ड ग्राम बागोर की आबादी की आराजी नं. 2991 में है। उच्चाधिकारी के आदेश से पटवारी हल्का ने दिनांक 2-11-2017 को मौका देखकर सीमाज्ञान कराया कि मुकेश कुमार माली को दिया गया भूखण्ड गांव की आबादी की आराजी नं. 2991 में स्थित है जो कि छोटूलाल माली की खातेदारी की भूमि पर

अतिक्रमण नहीं है और उक्त आबादी भूमि में छोटूलाल द्वारा कोई पाईप लाईन नहीं दबाई गयी है। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार पत्रावली सं. 175/12-13 द्वारा संकल्प सं. 11 दिनांक 5-8-2013 की अनुपालना में दिनांक 11-9-2017 को 20 बाई 25 फीट का आवासीय भूखण्ड रियायती दर पर गैर निगराकार सं. 1 जो कि पिछड़े वर्ग का गरीब आवासहीन व्यक्ति है उसे पट्टा सं. 27 से भूखण्ड प्रदान किया है जिसकी पालना में गैर निगराकार ने निर्धारित राशि भी जमा करा दी है। ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की पालना करते हुए आपत्तियां मांगने का सूचनापत्र जारी किया है जिस पर दो से अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। गैर निगराकार का निर्माण कार्य पूरा होकर भवन बन गया है जिसमें गैर निगराकार का परिवार निवास कर रहा है। बहस में यह भी निवेदन किया कि जब पंचायत द्वारा प्रदान किये गये भूखण्ड पर निर्माण कार्य हो जाता है तो उस अवस्था में भूखण्ड का पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने न्यायिक दृष्टान्त 1981 WLN (UC) 223 मस्ताना राम बनाम सरकार पेश कर बताया कि गैर निगराकार सं. 1 ने भूखण्ड पर मकान निर्मित करने में काफी राशि खर्च की है और निर्मित मकान में अपना निवास भी कर लिया है जिससे भूखण्ड का पट्टा निरस्त नहीं किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत बागौर की पत्रावली सं. 175/12-13 में की गयी कार्यवाही के पत्रादि अनुसार ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत प्रक्रिया अनुसार भूखण्ड का पट्टा गैर निगराकार सं. 1 के पक्ष में जारी किया जाना प्रकट होता है और गैर निगराकार सं. 1 ने उक्त भूखण्ड पर मकान का निर्माण कार्य किया जाना प्रतीत होता है, जिसके प्रमाण में उसके द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स संलग्न किये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में ही गैर निगराकार सं. 01 को भूखण्ड रियायती दर पर आवण्टन किया है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव—

आदेश

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती है। गैर निगराकार सं. 1 को ग्राम पंचायत बागौर द्वारा पत्रावली सं. 175/12-13 में रियायती दर पर भूखण्ड विक्रय किये जाने के आदेश दिनांक 5-8-2013 एवं दिनांक 11-9-2017 को जारी किये गये पट्टा सं. 27 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत बागौर को पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शुचि व्यागी)
जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा